आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रव बारे में टिप्पणी और ता
13.08.2019	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया** **उत्पाद वाद संख्या-23/2019** **राज्य** बनाम **1. सावन देवी, पति-रणवीर कुमार रौशन, सा0-मखनाहा, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया। (जप्त Motorcycle No.-BR11K-6817 के मालिक)** **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। **उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 926/म0नि0 दिनांक-21.12.2018** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 26.11.2018 को समेकित जांच चौकी, दालकोला के पास की गई।** जांच के क्रम में **उक्त वाहन से 07.200 लीटर विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णिया के न्यायालय में वाद दर्ज कराई गई। उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है। इस वाद में जप्त वाहन के मालिक (विपक्षी) द्वारा दिनांक 05.02. 2019 को कारणपृच्छा समर्पित किया गया है, जो अभिलेखबद्ध है। विपक्षी का मूख्य रूप से कथन है कि उक्त वाहन की जाँच समेकित जाँच चौकी, दालकोला पर नहीं की गई है और न ही शराब बरामद हुआ है। जप्त वाहन मेरे कब्जे में है। पुलिस द्वारा गलत जप्ति सूची तैयार की गई है! उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **उक्त वाहन से 07.200 लीटर विदेशी शराब** बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। विपक्षी वाहन मालिक द्वारा अपने कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि जप्त वाहन सं0- **Motorcycle No.-BR11K-6817** उनके कब्जे में है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जप्त की गई किसी अन्य मोटरसाईकिल में उक्त नम्बर प्लेट लगाकर शराब का परिवहन किया गया है।	

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा, उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त कथित वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में इस तथ्य को लाया गया है कि जप्त वाहन सं0-**Motorcycle No.-BR11K-6817** उनके कब्जे में है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि इस मामले में जप्त मोटरसाईकिल का निबंधन सं0 कुछ और होगा, जिसमें फर्जी तरीके से निबंधन सं0-**BR11K-6817** का नेमप्लेट लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में वास्तविक वाहन मालिक को न्यायालय में उपस्थित कराना संभव प्रतीत नहीं होता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त कथित Motorcycle No.-BR11K-6817** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।